

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
13/03/2025 22:29 hrs

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)



3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 01/04/2020 Date To (दिनांक तक): 31/03/2021
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/03/2025 Time (समय): 22:10 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 016 Date and Time (दिनांक और समय): 13/03/2025 22:19 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 35 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): खरखौदा जिला सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता)

(a) DSP VIPIN

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 22/10/1984 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	ACB UNIT SONIPAT, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	ACB UNIT SONIPAT, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8295555511

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मन्दीप ईन्चार्ज सैल काउन्टर हरियाणा बीज विकास निगम खरखौदा			1. हरियाणा बीज विकास निगम खरखौदा, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

प्रबन्धक अफसर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक। विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर। श्री मान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 21.06.2024 रोहतक, CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ दिनांक 09.05.2024 के आदेश अनुसार कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ.नि.ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 12130/1-5/ACB (II) dated 24.06.2024 के अनुसार दर्ज होकर पडताल हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई है। और मन उप पुलिस अधीक्षक को दिनांक 30.06.2024 को पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जांच में आरोप वर्णित है कि जांच CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ के आदेश दिनांक 09.05.2024 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा गेहूँ के बीज पर सब्सिडी दी गई थी उस सब्सिडी वितरण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड में जालसाजी करके सब्सिडी का दुरुपयोग करने की जाँच करने बारे थे। वर्ष 2020-21 रबी की फसल के दौरान प्रति क्विंटल गेहूँ बीज की कुल राशि 3350 रुपये मानी गई थी। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा किसानों को वर्ष 2020-21 में प्रति क्विंटल 1000 रुपये सब्सिडी देकर, किसानों को कुल 2350 रुपये प्रति क्विंटल बेचा गया था। जिसमें हरियाणा बीज विकास निगम को सब्सिडी दर हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। जिला सोनीपत में हरियाणा बीज विकास निगम ने बीज बिक्री केन्द्र खरखौदा, में मंदीप सेल्स मैन तैनात था। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड सोनीपत के रिकार्ड अनुसार बिक्री केन्द्र खरखौदा, में रबी की फसल के दौरान गेहूँ बीज किस्म बिक्री का विवरण गेहूँ बीज किस्म (Variety) ID-2967 के 960 क्वींटल, WH 1105 के 50 क्वींटल, PBW 723 के 42 क्वींटल, WH 1124 के 130 क्वींटल, PBW 00 क्वींटल के, ID-3086 के 946 क्वींटल, PBW 677 के 00 क्वींटल कुल 2128 क्वींटल है जिला सोनीपत के बीज बिक्री केन्द्र (सोनीपत, खरखौदा, गोहाना, गन्नौर) की कुल सब्सिडी 86,06,000 रुपये बनती है। खरखौदा में 05 किस्मों का 2128 क्विंटल गेहूँ का बीज वितरण किया गया था हरियाणा बीज विकास निगम भिवानी के सरकारी बैंक खाता संख्या 00781010002420 में कुल 86,06,000/- रुपये सब्सिडी राशि सोनीपत जिले की प्राप्त होनी पाई गई है। हरियाणा बीज विकास निगम भिवानी में वर्ष 2020-21 में रबी की फसल के दौरान बिक्री केन्द्र खरखौदा में हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से खरखौदा में कुल 2272 क्वींटल गेहूँ का बीज प्राप्त हुआ था जिसमें से 2128 क्वींटल (5320 कट्टे) गेहूँ अनुदान के आधार पर 719 किसानों को वितरित किया गया था। इसके अतिरिक्त सेल काउन्टर ईन्चार्ज खरखौदा मन्दीप के कथन अनुसार 144 क्वींटल गेहूँ (360 कट्टे) गेहूँ का बीज वितरण अधिकारी भिवानी के मौखिक आदेश हिसार स्टोर को ट्रांसफर करना पाया गया है। वर्ष 2020-21 में रबी की फसल RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत जिला सोनीपत के तहत बिक्री केन्द्र खरखौदा में गेहूँ बीज वितरण किया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिला सोनीपत के बिक्री केन्द्र सोनीपत, खरखौदा, गोहाना, गन्नौर में कुल 3299 किसानों को 8606 क्वींटल गेहूँ बीज वितरण किया गया कुल किसानों में से 15 या 15 से अधिक गेहूँ के कट्टे प्राप्त करने वाले किसानों में से 10 प्रतिशत के हिसाब से सोनीपत, खरखौदा, गोहाना, गन्नौर के कुल 376 किसानों को शामिल जाच करके कथन अंकित किये गये हैं। जो शामिल जाच के दौरान बिक्री केन्द्र खरखौदा के 719 किसानों में से 94 किसानों को शामिल जांच करके कथन अंकित किये गये जिसमें 06 किसानों के कथन अनुसार उन्होंने 2/5 कट्टे ही गेहूँ लिये थे और उनके खाते में ज्यादा कट्टे चढ़ाने पाये गये हैं 07 किसानों के कथन अनुसार उन्होंने एक भी गेहूँ के बीज का कट्टा नहीं लेना नहीं ब्यान हुआ है और 02 किसानों की मृत्यु होनी पाई गई है। इसके अलावा 04 किसानों के पते सही नहीं पाये गये हैं अतः बीज बिक्री केन्द्र खरखौदा के सेल्स मैन मन्दीप ईन्चार्ज सेल काउन्टर हरियाणा बीज विकास निगम खरखौदा पुत्र श्री जयसिंह निवासी इसापुर खेडी जिला सोनीपत द्वारा अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने धोखा धड़ी करके रिकार्ड में हेरा फेरी करने का अपराध किया है। जिसके खिलाफ तत्कालिन प्रचलित कानून धारा 409/419/420/467/471 भा.दं.सं. एवं 13 (1)A r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था जांच की पडताल पूर्ण होने उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक क्रमांक 917 भ.नि.ब्यूरो. रोहतक दिनांक 11.03.2025 के अनुसार श्री मान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ.नि.ब्यूरो. हरियाणा पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई थी जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार सतर्कता विभाग चण्डीगढ़ के आदेश क्रमांक न0 66/46/2024-6VII Dt 04.03.2025 व श्री मान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के क्रमांक न0 3677/1-1/ACB (II) dated 05.03.2025 के अनुसार बिज बिक्री केन्द्र सोनीपत के सेल्स मैन मन्दीप के खिलाफ तत्कालिन प्रचलित कानून

धारा 409/419/420/467/471 भा०द०स० एंव 13 (1)A r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने हेतु तहरीर तैयार करने के आदेश प्राप्त होने पर मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त तहरीर परारूप तैयार करके अनुमोदन के लिये कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक के पत्र क्रमांक 917 भ.नि.ब्यूरो. रोहतक दिनांक 11.03.2025 के अनुसार भेजी गई थी जिसके उपरान्त श्री मान अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला हरियाणा कार्यालय के पत्र क्रमांक 4392/1-1/ACB (II) DATED 12.03.2025 पंचकुला के अनुसार उक्त अभियोग अंकित करने बारे अनुमोदित होने उपरान्त प्राप्त हुई है आज मैं कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत में उपस्थित हूँ जो पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक से मन उप पुलिस अधीक्षक के नाम तहरीर देने बारे मार्क हुई है जिस पर तहरीर तैयार करके ईन्चार्ज मन्दीप सैल्स मैन खरखौदा उपरोक्त के खिलाफ तत्कालिन प्रचलित कानून धारा 409/419/420/467/471 भा०द०स० एंव 13 (1)A r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने के लिये बदस्त EHC राजेश 1037/पानीपत के हवाले करके थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक में भेजी जा रही । यदि अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो 10/% अन्य किसानों को भी शामिल अनुसंधान किया जाएगा अभियोग अंकित करके अभियोग नम्बर से सुचित किया जावे तथा अभियोग की स्पेशन रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जाये। हस्ता अंग्रेजी VIPIN KUMAR विपिन कादियान (ह0पु0से0) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत। अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 07 दिनांक 13.03.25 धारा 409/419/420/467/471 भा०द०स० एंव 13 (1)A r/w 13(2) PC Act 1988 PC ACT PS ACB RTK दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान बाला व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक रोहताश सिंह न0 587/नारनौल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र झज्जर के हवाले की जाएगी व मुख्य सिपाही नवीन कुमार न0 128/रोहतक के हवाले स्पेशन रिपोर्ट की जाकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक भगतसिंह न0 560/RR रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
ROHTASH KUMAR
No. (सं.): 587NNL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



Bj

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Bhagat Singh

Rank (पद): Inspector

No. 560/RR

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):